

राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/196

दिनांक: 23.08.2013

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/190 दिनांक 16.08.2013 में क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री विशाल कांटिया जिन्हें संविदा के आधार पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर राजकीय महाविद्यालय, टोंक में अध्यापन कार्य कराये हेतु लगाया गया था, के स्थान पर उन्हें राजकीय महाविद्यालय, उनियारा में लगाया जाता है।

पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तें पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/190 दिनांक 16.08.2013 के अनुसार ही रहेंगी।



(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/पार्ट/196

दिनांक: 23.08.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उनियारा श्री कांटिया को कार्यग्रहण करवा कर पालना रिपोर्ट फैक्स द्वारा भिजवायें।
4. उपविधि परामर्शी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री विशाल कांटिया, संविदा व्याख्याता।
- ✓ 6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को उक्त आदेश वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर.के. कोठारी)
संयुक्त निदेशक